तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेंस/एलआर/5933/2006/करौली** **सरकार बनाम देवीलाल**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ
श्री भवानी सिंह पालावत, सदस्य

उपस्थितः–
श्री तेजेन्द्र सिंह राठौड़, उप राजकीय अभिभाषक प्रार्थी।
अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित।

दिनांक : 16–07–2025

निर्णय

यह रेफरेंस जिला कलक्टर, करौली ने राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 03–07–2006 द्वारा अभिशंषा करते हुए राजस्व मण्डल को प्रेषित किया है।

उप राजकीय अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

उप राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि ग्राम कोटा तहसील करौली स्थित आराजी खसरा नंबर 34, 43 रकबा 1.16, 0.18 संवत् 2015 एवं इसके पश्चात् गै0मु0नाला दर्ज रिकार्ड थी। परन्तु नामान्तरकरण संख्या 233 दिनांक 09–10–33 से मंगल पुत्र शिब्बू निवासी कोटा तहसील करौली के नाम जरिये आवंटन से दर्ज कर दिया। वर्तमान जमाबन्दी संख्या 2059–2062 में खसरा नंबर 34/1, 43/1 रकबा 0.14, 0.11 आराजी अप्रार्थीगण देवीलाल, घासीलाल, श्री बच्चू पि0 मोलो माली/धन्ना पुत्र मंगल काछी/लाखन पुत्र प्रभू/संतरा, कमला, बटूरी छोटू पुत्री प्रभू/पानो बेवा प्रभू/बाबू पुत्र घमण्डी/रजनबाई, किरंती, चिरोंजी, दरखो, मीरा पुत्रियां घमण्डी/गुलकंदी बेवा घमण्डी/सरदारी पुत्र मंगल काछी सा0 देह के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड में दर्ज झील, तालाब, तलाई, नदी, नाले जलाशयों की भूमि पर किसी को खातेदारी अधिकार उद्भूत नहीं होते हैं। डी0बी0 सिविल जनहित याचिका सं0 1536/2003 उनवानी अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में दिए गए निर्देशों के अनुसार 15–08–1947 की स्थिति को यथावत रखा जाना है। अतः अप्रार्थीगण के पक्ष में किये गये समस्त इन्द्राजात को निरस्त कर विवादित भूमि को पुनः राजस्व रेकॉर्ड में नाला अभिलिखित किया जावे।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 के अन्तर्गत राज्य सरकार के

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेंस / एलआर / 5933 / 2006 / करौली** **सरकार बनाम देवीलाल**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

स्वामित्व की भूमि है एवं उक्त भूमि का आवंटन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत वर्जित श्रेणी में आने के कारण राजस्थान भू राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम, 1970 के नियमों के अन्तर्गत आवंटन / नियमन योग्य नहीं होती है एवं उक्त भूमि पर अप्रार्थीगण को खातेदारी अधिकार भी प्रोद्भूत नहीं होते हैं। किन्तु उक्त भूमि का बिना किसी आधार के अप्रार्थीगण की खातेदारी में अंकित कर दी गई। राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार सन् 1947 एवं इसके पश्चात् उक्त भूमि की किस्म गै0मु0नाला दर्ज थी। ऐसी स्थिति में विवादित भूमि बाबत् की गई समस्त कार्यवाही डी0बी0 सिविल जनहित याचिका सं0 1536 / 2003 उनवानी अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 02–08–2004 के परिप्रेक्ष्य में भी अविधिक है तथा ऐसी अविधिक कार्यवाही के विरूद्ध किसी प्रकार की मियाद बाधित नहीं है। उपरोक्त विधिक स्थिति के परिप्रेक्ष्य में हम राज्य सरकार की ओर से प्रस्तुत रेफरेंस को स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

फलस्वरूप यह रेफरेन्स स्वीकार किया जाकर हाल आराजी खसरा नंबर 34 / 1, 43 / 1 रकबा 0.14, 0.11 भूमि बाबत अप्रार्थीगण के पक्ष में किये गए समस्त इन्द्राजात, आवंटन एवं नामान्तरकरण आदि निरस्त किए जाकर उक्त आराजी को राजकीय खाते में पुनः गै0मु0नाला दर्ज करने के आदेश दिए जाते हैं। पत्रावली निर्णित इन्द्राज की जाकर अभिलेखागार में भिजवाई जावें।

आदेश सुनाया गया।

(भवानी सिंह पालावत)
सदस्य